

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2016/डी-904

दिनांक:- 20/4/2016

श्री अभिषेक पाल सिंह,
मुख्त्यारआम मेसर्स डीसी अग्रवाल,
व्यावसायिक भूखण्ड, कालवाड स्कीम,
स्टेशन रोड, जयपुर

विषय :- व्यावसायिक भूखण्ड, कालवाड स्कीम, स्टेशन रोड, जयपुर के प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय भवन
मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 18.09.2015 के संदर्भ में जो प्रस्ताव व्यावसायिक भूखण्ड, कालवाड स्कीम, स्टेशन रोड, जयपुर में स्थित भूखण्ड (1881.00 वर्गमीटर (346.50 वर्गमीटर मैट्रो पार्किंग हेतु भूमि समर्पित) = 2227.50 वर्गमीटर) पर 40.00 मीटर ऊँचाई के (बेसमेन्ट-1 + बेसमेन्ट-2 + भूतल + 12 मंजिल) के प्रस्तावित व्यावसायिक एवं आवासीय के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बी.पी.) की 179वीं बैठक दिनांक 18.01.2016 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा माह (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अनापत्ति क्रमांक AAI/RHQ/NR/ATM/NOC/2015/365/3893-96 दिनांक 02.12.2015 के अनुसार) दिनांक 01.12.2020 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान/भवन विनियमों के अनुरूप है। यदि कोई उल्लंघन प्राधिकरण की जानकारी में आया तो प्राधिकरण को भवन मानचित्रों की दी गयी अनुज्ञा रद्द करने का अधिकार होगा तथा प्राधिकरण से प्रार्थी को किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हक नहीं होगा।
4. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
5. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं उपायुक्त जोन-02 प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
6. आप द्वारा भवन विनियम 2010 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माणकर्ता द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से संबंधित उपायुक्त जोन 02 को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
7. भवन विनियम 2010 की धारा 15.6 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
8. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
9. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
10. स्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत व्यावसायिक एवं आवासीय ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
11. ऊपर वर्णित शर्तों एवं अन्य कोई संबंधित शर्त का पालन नहीं होने पर भवन अनुज्ञा रद्द मानी जायेगी।
12. स्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
13. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवावेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
14. स्वीकृत मानचित्र को प्राप्ति दिनांक से राज्य स्तर के सनाचार-पत्र में एक सप्ताह में प्रकाशित करने होंगे तथा इसकी सूचना संबंधित उपायुक्त जोन को देगा।

15. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना भवन विनियम 2011 के विनियम 10.1.8 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
 16. भवन परिसर में ही आगुन्तकों की पार्किंग करवाई जावे तथा आगुन्तकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
 17. भवन विनियम की धारा 16.5 की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।
 18. अग्निशमन दृष्टि से सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों की पालना सुनिश्चित की जानी आवश्यक होगी तथा भवन की आवश्यकतानुसार अग्निशमन यंत्र (Fire Extinguisher) रखें जावें तथा इनको संचालित करने के लिये प्रशिक्षित व्यक्ति ऐसे भवन में हर समय उपलब्ध रहें।
 19. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात् अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।
 20. अधिवास प्रमाण पत्र भवन निर्मित होने के उपरान्त आवश्यक रूप से लिया जाना होगा।
 21. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
 22. भवन विनियम 2010 की धारा 17.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
 23. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
- संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (08 मानचित्र)

भवदीय

(मुकेश मित्तल)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रवर्तन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त, जोन-02, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. अधिशाषी अभियन्ता, बीपीसी-द्वितीय, जविप्रा, जयपुर को मानचित्रों की एक प्रति (08 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
4. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि0 विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पिटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

(मुकेश मित्तल)

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं

सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (बी.पी.)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

9.14

61.00

SITE - PLAN

AREA CALCULATION TABLE									
SR. NO.	FLOORS	GROSS BUILT UP	NET BUILT UP	LIFT	BALCONY	PRE-EXISTING	STAND	CORRIDOR	P.A.A.
		SQ.MT.	SQ.MT.	SQ.MT.	SQ.MT.	SQ.MT.	SQ.MT.	SQ.MT.	SQ.MT.
1.	LOWER	1318.99	1318.99	9.58					
2.	UPPER	1374.90	1374.90	9.58			10.58		PARKING
3.	GROUND FLOOR	643.16	586.12	9.58		9.96	10.58	31.86	184.78
4.	FIRST	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
5.	SECOND	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
6.	THIRD	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
7.	FOURTH	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
8.	FIFTH	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
9.	SIXTH	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
10.	SEVENTH	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
11.	EIGHTH	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
12.	NINTH	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
13.	TENTH	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
14.	11TH	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
15.	12TH	643.16	586.19	9.58	34.93	9.96	10.58	95.47	482.64
16.	TERrace	24.25	24.25						
17.	TOTAL	11079.22	10443.24	143.70	410.16	129.48	158.70	1177.50	5976.46

TOTAL F.A.R. ACHIEVED = 5976.46 SQ.MT.

EXCEED CORRIDOR AREA = 1177.50 - 896.46 = 281.04 SQ.MTS.

TOTAL NET F.A.R. ACHIEVED = 5976.46 - 281.04 = 6257.50 SQ.MT.

PARKING CALCULATION:

NO. OF C.U. REQUIRED @ 1 C.U. PER

RESIDENTIAL PARKING	FAR ACHIEVED = 75	6077.09	= 61.01
COMMERCIAL PARKING	FAR ACHIEVED = 50	150.11	= 3.60

TOTAL PARKING PARK = 61.01 + 3.60 = 64.62 C.U.

= 25% EXTRA VEHICLE PARKING @ 1.25 = 105.77 C.U.

TOTAL PARKING REQ = 106.00 C.U.

PARKING AVAILABLE :

CAR PARK IN OPEN AREA =	20
CAR PARK IN STILL AREA =	1
CAR PARK IN UPPER BASINMENT =	12
CAR PARK IN LOWER BASINMENT =	32

TOTAL CAR PARK = 65.00 C.U.

SCOOTER PARKING IN OPEN = 12

SCOOTER PARKING IN STILL = 2

SCOOTER PARKING IN UPPER BASINMENT = 24

SCOOTER IN LOWER BASINMENT = 19

TOTAL TWO WHEELER = 67.00 C.U. = 67.00 C.U.

TOTAL PARKING PROVIDED = 65 + 22 + 33 = 117.33 C.U.

DRAWING TITLE	SITE PLAN & CALCULATION TABLE
---------------	-------------------------------

PROJECT TITLE:-
PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT KALWAR SCHEME, STATION ROAD
JAIPUR.

PROJECT CONSULTANTS:

 **Ideas**

• ARCHITECT
• URBAN PLANNING
• PROJECT MANAGEMENT

129, MIDHAT HANCI, TUNA ROAD, GAZIYAT
PH: 0212 212 0000

SCALE 1:100	NORTH POINT N
-------------	---------------

0	1
---	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

GYANENDRA SINGH SHEKHAR

Architect
CA/07122030

OWNER	ARCHITECT
-------	-----------

बसपुर विकास प्राधिकरण
बसपुर बहुमंडली इमारती एवं माला
यसमाथि भवनी भू-भाग नक्सा छी
माला एवं माला छी भवनगत केन्द्र एवं
इमारती भवनगत केन्द्र छी एवं माला
माला भवनगत केन्द्र छी एवं माला
माला भवनगत केन्द्र छी

1987 वर्षी मीटर से बड़ी ब्यासावायक/सहकारी
 मूल्यों के नीचे घर बन निर्माहकता द्वारा
 मीकृत मानविन की प्रविमान प्रवर्त।
 बसवतोकरणी Promosozially design को सर्वो
 कृत प्रवर्त के प्रवर्तों के प्रवर्त। प्रवर्त मान-
 विन बन निर्माहकता द्वारा प्रवर्त देवि
 प्रवर्त प्रवर्तों के प्रवर्त मानविन प्रवर्त देवि
 की डिग्री के प्रवर्त प्रवर्त के प्रवर्त प्रवर्त
 निर्माहक द्वारा।

इस मानचित्र का समीक्षण किया जो 2008
दस्तावेज में प्रस्तुत किया गया है। प्रति स्वातिष्ठ की
समाप्ति-पत्र में प्रकाशित किया गया है। यह
इसके लिए कि दस्तावेज में प्रकाशित किया
है प्रकाशित किया है।
यह प्रकाशित किया है कि दस्तावेज में प्रकाशित
किया है कि दस्तावेज में प्रकाशित किया है।
(STRUCTURE) का समीक्षण किया

बसु निवास बरिधर (बसु) का
 जन्म 2000 की रात 12
 बजे बरिधर के घर में हुआ था।
 बसु का पिता बरिधर का निवास
 बरिधर में है।

[illegible]

applicant should get the construction checked at pilot level before proceeding to further construction.

महान मानवविषय समिति (बी.सी.) की 179...वीं
 बैठक दिनांक 18/01/2016 को सिते गये निर्णय
 को अनुपालना में भाग्य मानवविषय फांफा लज्जित/
 प्र.प्र./बीसीटी (बीसी)/बी-904 दिनांक.....
 20/01/2016 द्वारा अनुमोदित कर कार्य सिते गये।

इय मगर नियोजित (वी० पी० सी०)
कसपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

उद्योग सचिव (सी० सी० सी०)
जयपुर विकास 28/11/2011
जयपुर



DRAWING TITLE

LOWER BASEMENT PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT KALWAR SCHEME, STATION ROAD
JAIPUR.

PROJECT CONSULTANTS



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR

SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

बसपुर विकास प्राधिकरण
बसपुर नगरपालिका वडा नं. ०१ बिकास
बसपुर नगरपालिका वडा नं. ०१ बिकास
बसपुर नगरपालिका वडा नं. ०१ बिकास
बसपुर नगरपालिका वडा नं. ०१ बिकास
बसपुर नगरपालिका वडा नं. ०१ बिकास

[illegible]

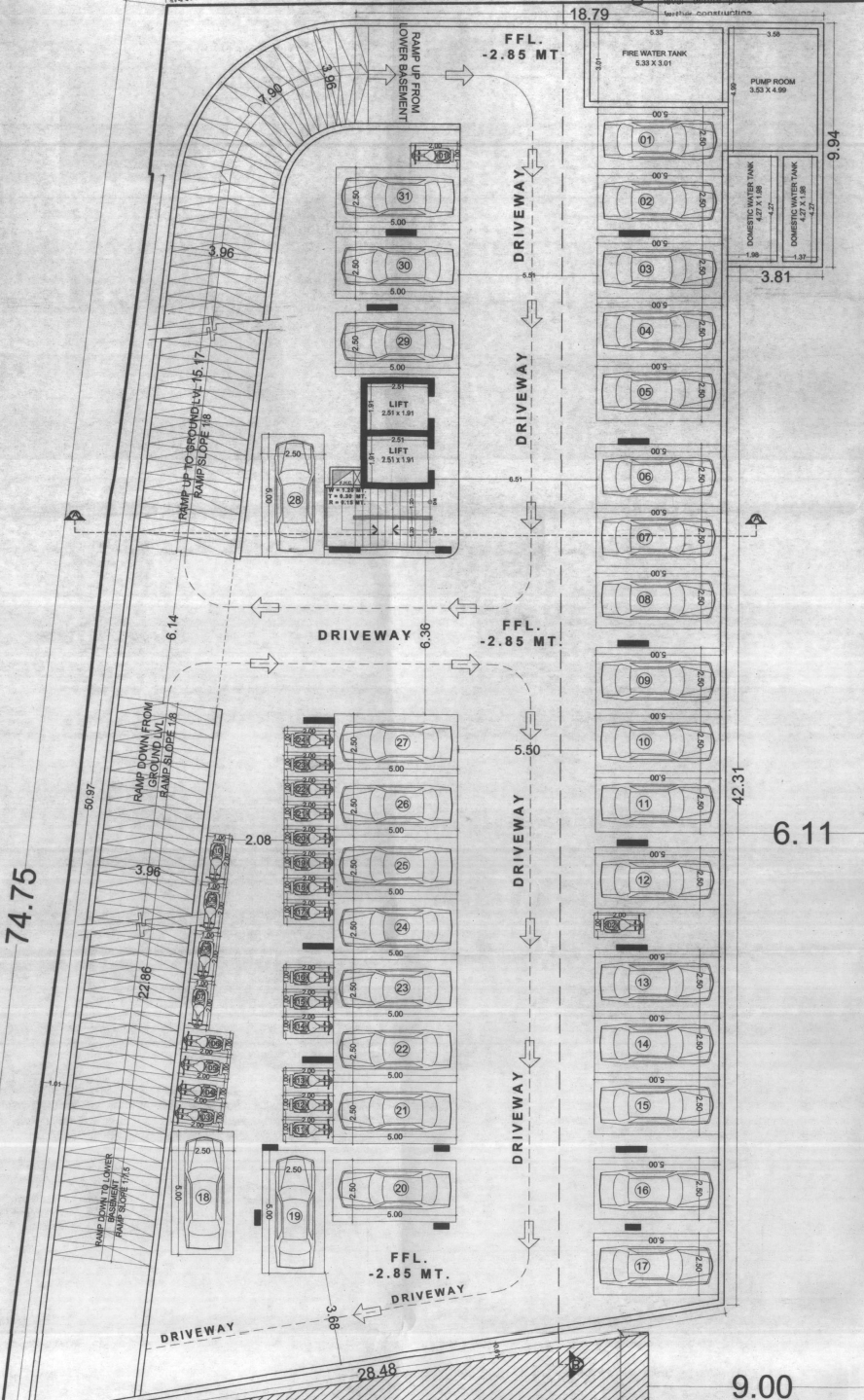
है मानव का वह अनुसंधान किसी भी ज्ञान
व्यवस्था में नहीं है। यह स्वतंत्र है।
इससे किसी भी व्यवस्था में अनुसंधान नहीं
है प्रमाणित नहीं।
यह है कि यह अनुसंधान में नहीं है।
यह है कि यह अनुसंधान में नहीं है।
(STRUCTURE), का ध्यान रखें।
"यह है कि यह अनुसंधान में नहीं है।"

१. २००० को पारा १२-३
 २. २००० को पारा १२-३
 ३. २००० को पारा १२-३
 ४. २००० को पारा १२-३
 ५. २००० को पारा १२-३
 ६. २००० को पारा १२-३
 ७. २००० को पारा १२-३
 ८. २००० को पारा १२-३
 ९. २००० को पारा १२-३
 १०. २००० को पारा १२-३

[illegible]

भवन मानविक समिति (बी.पी.) की 179. UPR
 बैठक दिनांक 16/11/2016 में विवेचन एवं निर्णय
 की अनुमति प्राप्त है भवन मानविक समिति की
 सं.स. (बी.पी.) की 994 दिनांक 16/11/2016

applicant should get its construction checked at plumb level before proceeding for



61.00

6.11

9.00

SURRENDERED LAND FOR
METRO PARKING
AS PER JDA PATTI

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

DRAWING TITLE

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT KALWAR SCHEME, STATION ROAD
JAIPUR



PHONE - 0145-2706680

SCALE 1:100

NORTH POINT 

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT

बसपुर विकास प्राधिकरण
बसपुर कृषि सेवा इकाई एवं
बसपुर में सड़क
प्रकार की योजना
बाबाविल
किसान बाजार
बाबाविल

[illegible]

१. **परमाणु के अणुसंयोजक कितने हो सकते हैं?**
 २. **हलोजन भूमि/अणु के प्रति क्या विशेषता है?**
 ३. **समाच-वैक नती पता जायेगा और यह**
 ४. **सबसे कमि के कारण सहायक अधिकार**
 ५. **के समानता है।**
 ६. **यदि निम्नलिखित तत्वों में**
 ७. **सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील तत्व**
 ८. **STRUCTURE) का चित्रण**
 ९. **होवा।**

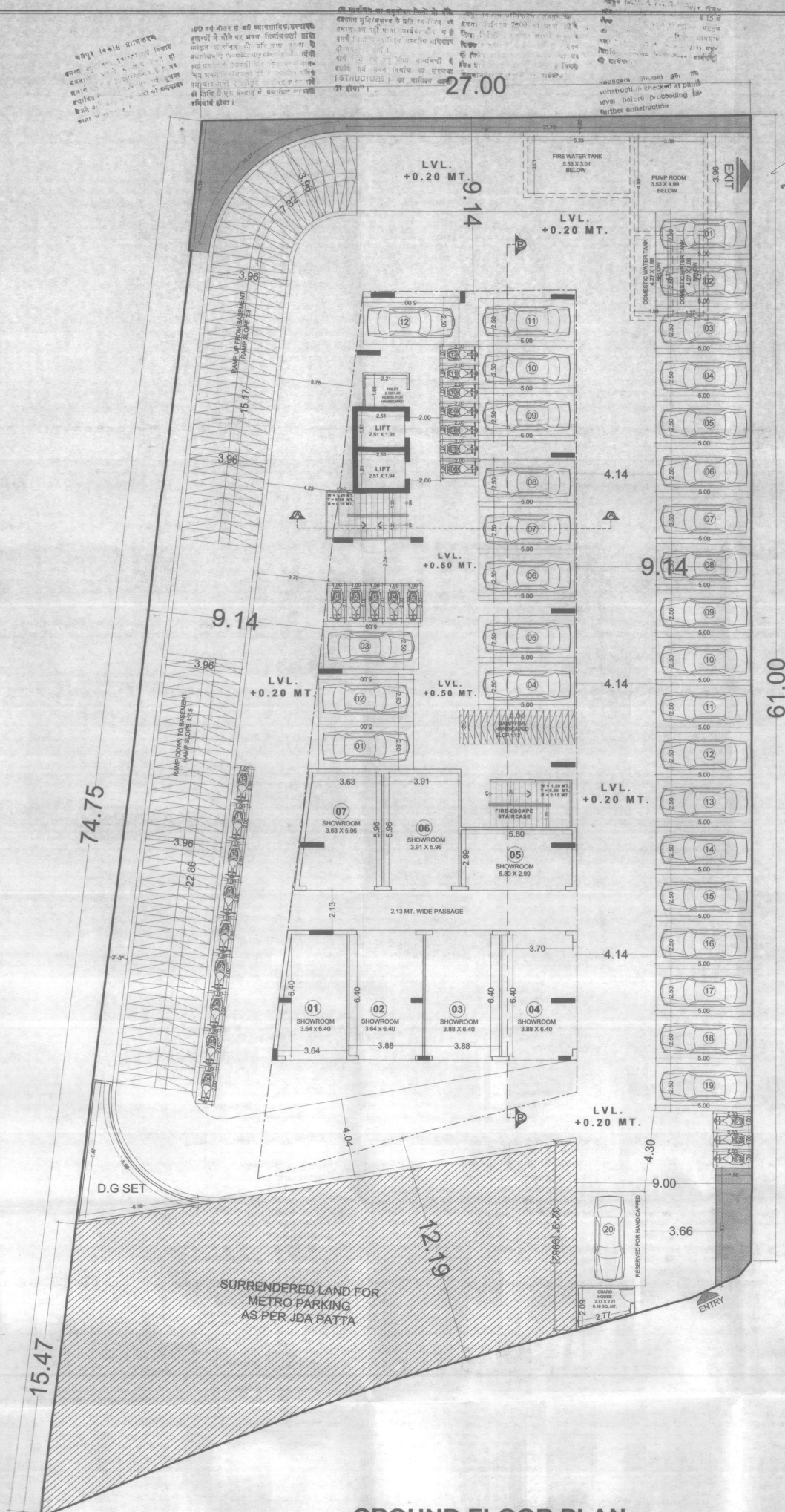
27.00

Construction checked at pilot level before proceeding in construction

मकान मागविका दफ्तर (द.प.) को 179
 शिवाजी विद्यालय 18/1/2016 अ. वि. म. वि.
 श्री अनुपमना में जन्म मागविका दफ्तर
 द.प. कोपरी (वि.प.) को 904 शिवाजी
 20/1/2016 अ. वि. म. वि.

उप नगर प्रमुख (ओ० पा० शा०)
नगर विकास प्राधिकरण

सहस्र संज्ञा (सी० पी० सी०)
सहस्र संज्ञा (सी० पी० सी०)



GROUND FLOOR PLAN

DRAWING TITLE

GROUND FLOOR PLAN

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT KALWAR SCHEME, STATION ROAD
JAIPUR.

PROJECT CONSULTANTS



124, HIMMAT NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR

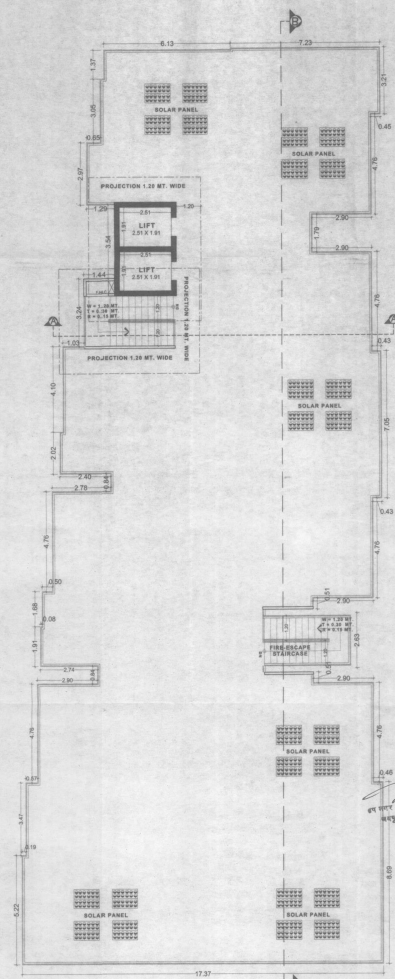
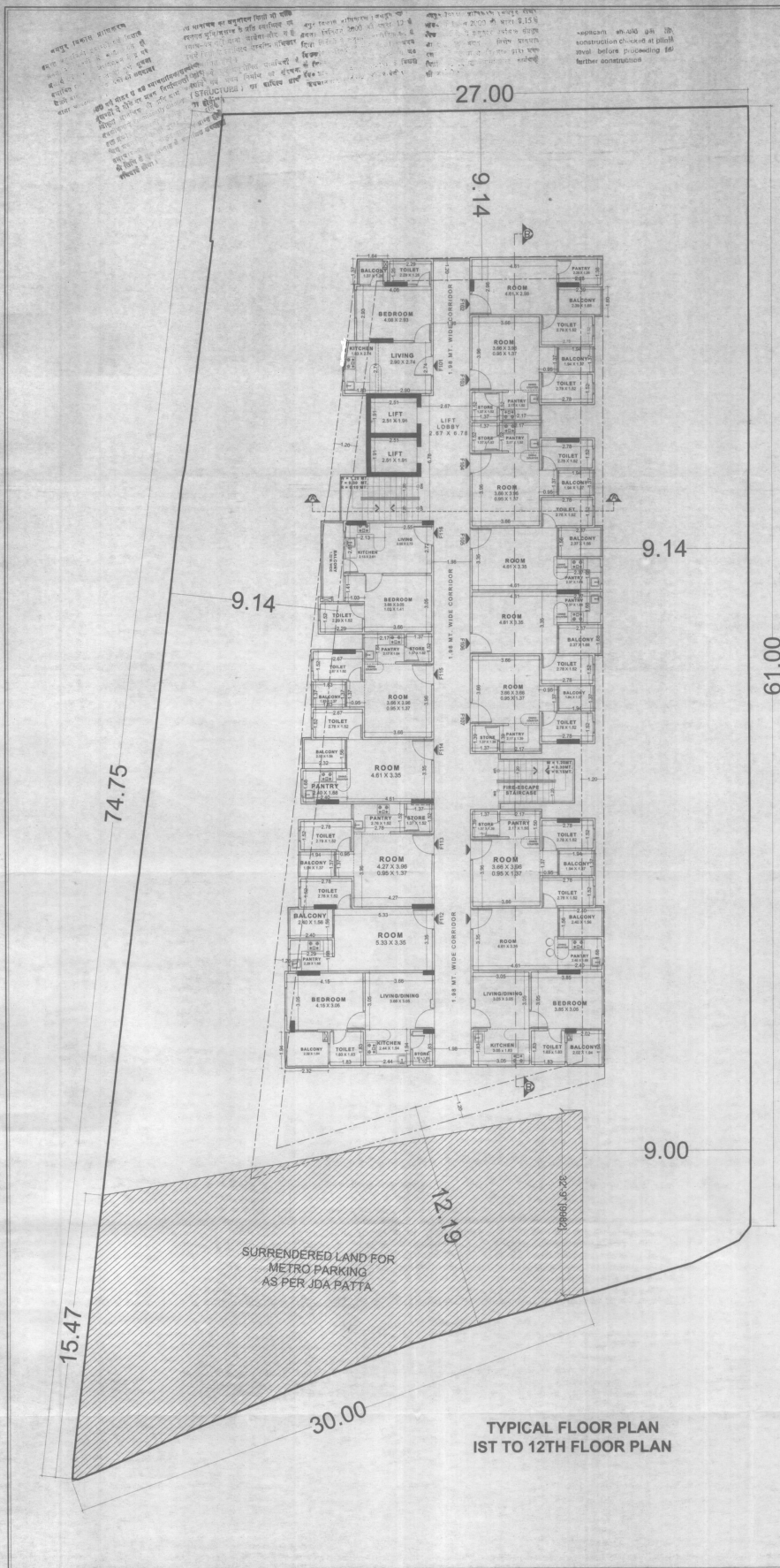
SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT



TERRACE FLOOR PLAN

DRAWING TITLE	TYPICAL FLOOR PLAN 1ST TO 12TH FLOOR PLAN & TERRACE FLOOR PLAN
PROJECT TITLE:-	PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT AT KALWARA SCHEME, STATION ROAD JAIPUR.
	
SCALE 1:100	NORTH POINT N 
 	
GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT Architect C/O 17/226/33	
OWNER	ARCHITECT

[illegible]

अब बर्तमान के बड़े व्यापारियों में एक
व्यक्ति है जो कि परमम निर्माणाधीन है।
निर्माण के लिए वह अपने अपने
व्यक्तिगत रूप से निर्माण के लिए अपने
कर्म प्रदान करने के लिए अपने
निर्माण के लिए अपने निर्माण के लिए
निर्माण के लिए अपने निर्माण के लिए
निर्माण के लिए अपने निर्माण के लिए
निर्माण के लिए अपने निर्माण के लिए

११. आन्तरिक का बहुमानन किताबी दाहि
 १२. गद बुद्धिमत्त्व के प्रति स्वाभाविक प्र
 १३. यथा-यम नहीं माना जायेगा और वह
 १४. दन्ते के आन्तरिक सम्बन्ध बख्शिय
 १५. दो प्रमाण हैं।
 १६. दोषों के बहुमानन यथावधि है
 १७. स्वयं के आन्तरिक दोषों के
 १८. STRUCTURE के अन्तर्गत
 १९. होना।

नाम: विष्णु - ४, विष्णु, विष्णु, विष्णु
 पद: विष्णु, विष्णु, विष्णु, विष्णु
 विष्णु, विष्णु, विष्णु, विष्णु
 विष्णु, विष्णु, विष्णु, विष्णु
 विष्णु, विष्णु, विष्णु, विष्णु
 विष्णु, विष्णु, विष्णु, विष्णु
 विष्णु, विष्णु, विष्णु, विष्णु

Applicant should get the
construction checked at plant
level before proceeding with
further construction

MACHINE ROOM

WATER TANK

SOUTH ELEVATION

EAST ELEVATION

DRAWING TITLE

ELEVATIONS

PROJECT TITLE:-	
-----------------	--

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT KALWAR SCHEME, STATION ROAD
JAIPUR,

PROJECT CONSULTANTS:

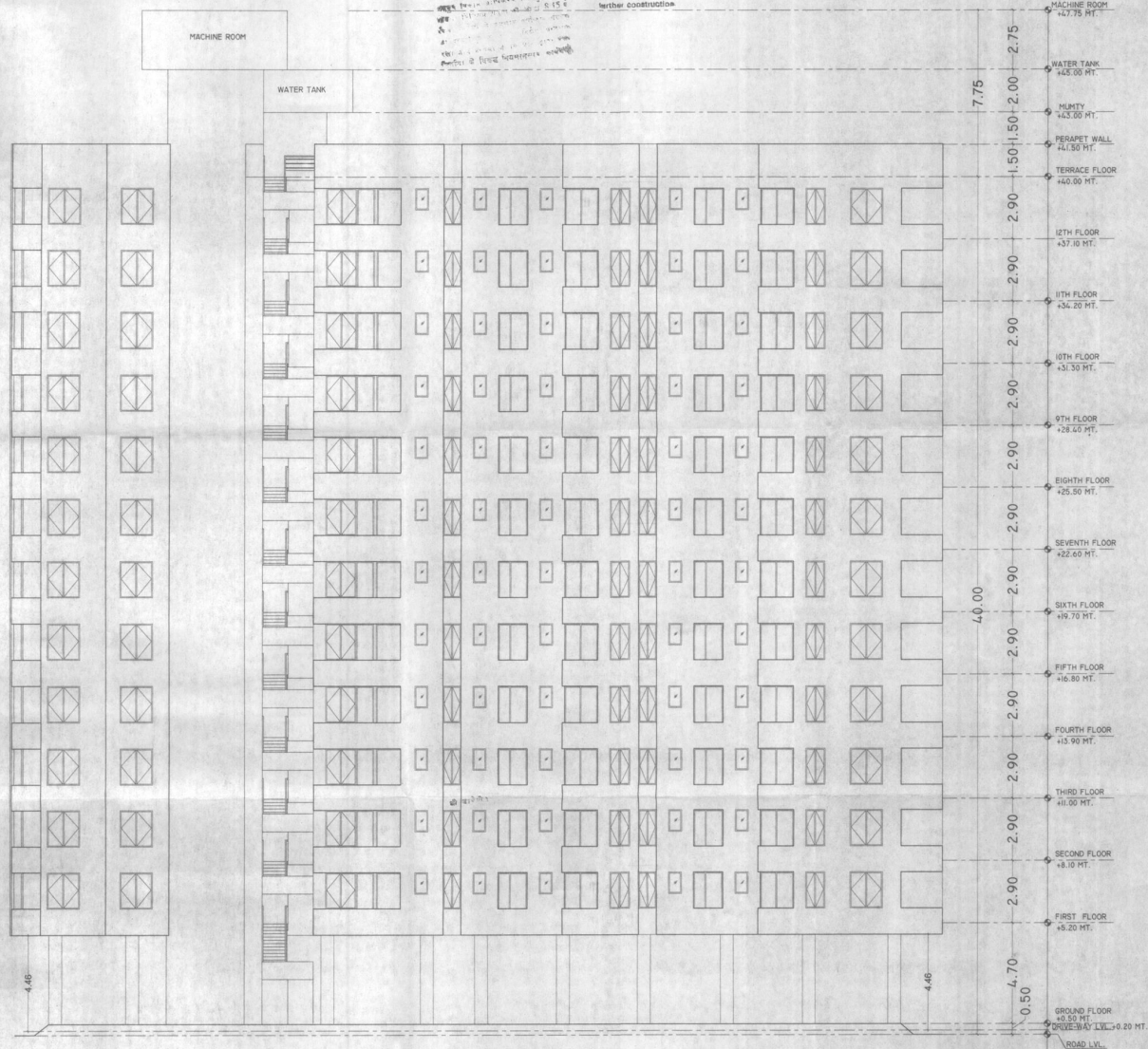
OK, HANST NAGAR, TONK ROAD, JAIPUR

SCALE 1:100

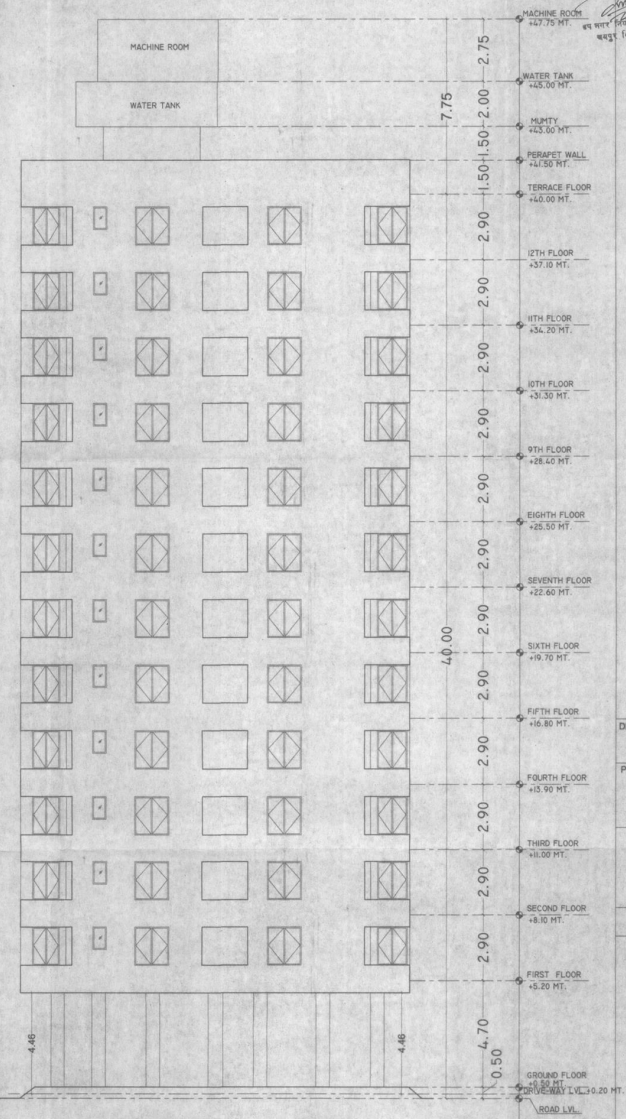
NORTH POINT 

	
OWNER	ARCHITECT

applicant should get the construction checked at plumb level before proceeding for further construction.



NORTH ELEVATION



WEST ELEVATION

SHEET NO. 07

ELEVATIONS

18/01/2016
23/4/2016

अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा (बी० वा० शा०)
अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा
अध्यक्ष महाराष्ट्र विधानसभा

सदस्य संविधि (वि. वि. वि.)
समयुर विकास समिति
समयुर

DRAWING TITLE

ELEVATIONS

PROJECT TITLE:-

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT KALWAR SCHEME, STATION ROAD
JAIPUR



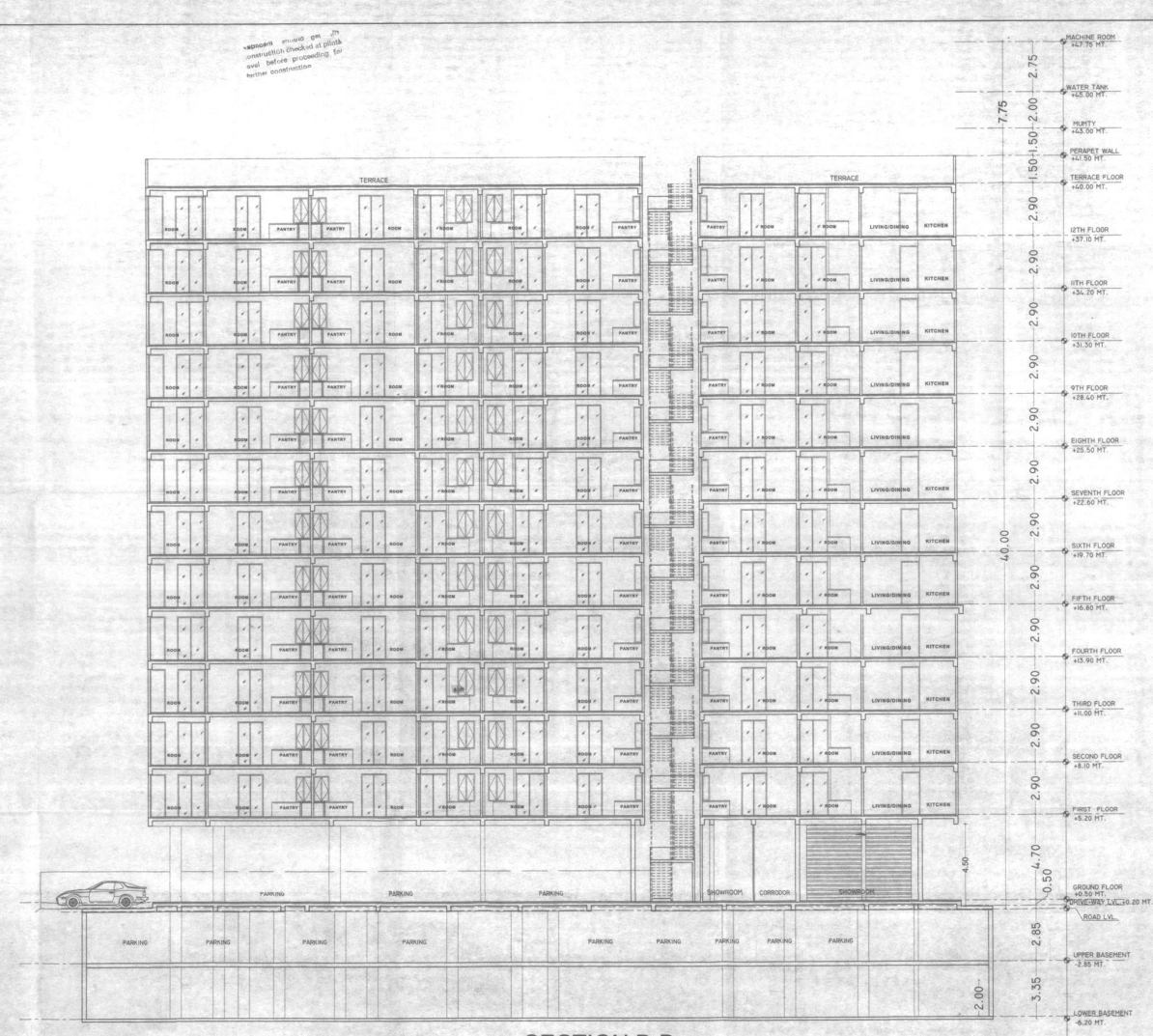
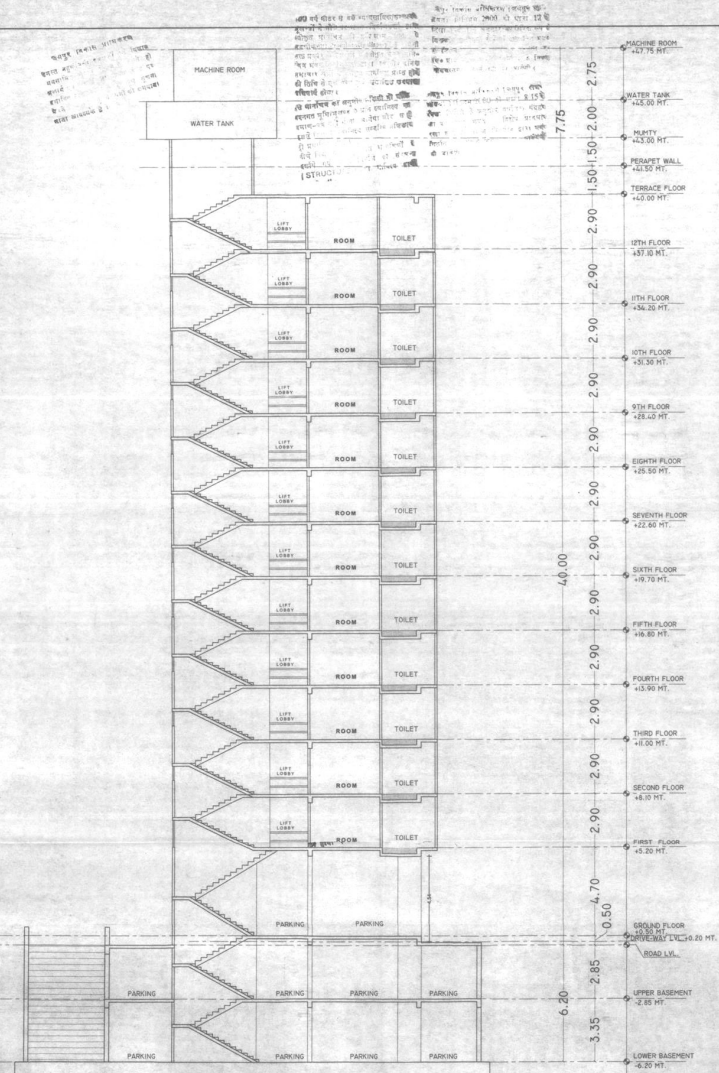
SCALE 1:100

NORTH POINT

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT
Architect
CA/97/22030

OWNER

ARCHITECT



SHEET NO. 08

179
1/8/74
SECTIONS

[illegible]

DRAWING TITLE

TIONS

PROJECT TITLE:

PROPOSED RESIDENTIAL APARTMENT
AT KALWAR SCHEME, STATION ROAD
JAIPUR.



SCALE 1:100

NORTH POINT 

GYANENDRA SINGH SHEKHAWAT

CRISTOZZO	
ARCHITECT	